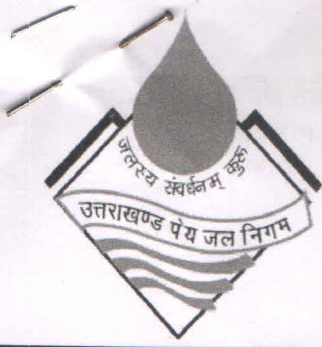




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कूटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून, 248003

पत्रांक 1682

/ 133 / 04

दिनांक 8/8/22

सेवा में,

प्रभागयी वनाधिकारी/उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय : मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राइवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 2112/FP/UK/Others/43838/2020 दिनांक 04.03.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
01	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले-आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की kml file में ले-आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित kml file यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	ऑनलाईन क्रम संख्या 30 पर मदवार विवरण संलग्न है। kml file के अनुरूप ही कार्य सम्पादित किये जायेंगे। ले-आउट प्लान संलग्न।
02	प्रस्ताव में संलग्न फैक्ट सीट में प्रस्तावित भूमि की वैधानिक स्थिति का विवरण नहीं भरा गया है।	फैक्ट सीट के क्रमांक 02 पर वैधानिक स्थिति का विवरण भरा गया है, जिसमें निजी भूमि वन स्वरूप संयुक्त रूप से 0.165 है0 दर्शित है। एस0टी0पी0 हेतु 20m X 15m = 300 वर्ग मी0 तथा पहुँच मार्ग एवं सीवर लाईन हेतु 300m X 4.50m = 1350 वर्ग मी0
03	प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से संलग्न नहीं किये गये हैं। कृपया पूर्ण FRA प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	ऑनलाईन क्रम संख्या 35 पर अपलोड हैं।
04	प्रस्ताव में लैण्ड शैड्यूल में परियोजना के निर्माण हेतु आंकलन त्रुटिपूर्ण है।	ऑनलाईन क्रम संख्या 07 पर अपलोड हैं, जिसमें एस0टी0पी0 20X15 मी0 = 300 वर्ग मी0 पहुँचमार्ग 300X4.5 मी0 = 1350 वर्ग मी0 = 1650.00वर्ग मी0 (0.165 है0)
05	प्रस्ताव में संलग्न प्रतिवेदन में परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्भावित निर्माण कार्य का मदवार विवरण अपेक्षित है।	ऑनलाईन क्रम संख्या 38 पर मदवार विवरण संलग्न कर दिया गया है।
06	मलवा निस्तारण मदवार विवरण सहित संलग्न की जाय।	ऑनलाईन क्रम संख्या 27 पर मदवार विवरण संलग्न है।
07	परियोजना एस0टी0पी0 होने के कारण निर्धारित प्रक्रियानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।	ऑनलाईन क्रम संख्या 22 पर प्रस्ताव संलग्न है।

08	परियोजना से लाभान्वित होने वाले स्थानीय ग्रामों की सूची संलग्न की जाय तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।	ऑनलाईन क्रम संख्या 21 पर कैमल बैंक जोन में 1646 परिवार एवं 8230 जनसंख्या लाभान्वित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। ऑनलाईन क्रम संख्या 35 पर परियोजना नगर पालिका परिषद् मसूरी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है, का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
09	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के पश्चात् कितने कुन्तल कूड़े का निस्तारण/निवारण किया जाना है। स्पष्ट सूचना संलग्न की जाये।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के पश्चात् एस0टी0पी0 से निकलने वाले Sludge को Centrifuge के माध्यम से निवारण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 0.50 क्विंटल खाद का उत्पादन होगा, जिसे बागवानी हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

भवदीय

(सन्दीप कश्यप)
अधिशाली अभियन्ता

परियोजना का नाम :- मसूरी सीवरेज योजना

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद देहरादून के मसूरी शहर की मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमल बैक जोन के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण कैमल बैक रॉक क्लिफ इस्टेट में प्रस्तावित है। जिसके द्वारा मसूरी के कैमल बैक जोन को लाभान्वित किया जायेगा, मसूरी सीवरेज योजना की लागत रू० 6173.25 लाख भारत सरकार द्वारा यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है। योजना निर्माण हेतु निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है :-

1. सीवेज शोधन संयंत्र (एस०टी०पी०) हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल - $20m \times 15m = 300$ वर्ग मी०
2. पहुँच मार्ग एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल - $300m \times 4.50m = 1350$ वर्ग मी०
3. कुल क्षेत्रफल - 1650 वर्ग मी० (0.165 हैक्टेयर)

(प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी)


(प्रयोक्ता एजेन्सी)